

**कार्यालय मुख्य कार्यपालक अधिकारी
भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरणबीडा- भदोही**

अल्प कालीन निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित कार्यो हेतु मुहरबन्द निविदा बीडा में पंजीकृत ठेकेदारों एवं अनुभवी/मैन्यूफैक्चर्स से निम्नलिखित कार्यो हेतु मुहरबन्द निविदाएं तकनीकी एवं फाइनै-शीयल बिड अलग-अलग निर्धारित प्रपत्र पर आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र इस कार्यालय में दिनांक 20.09.2019 को अपराह्न 4.00 बजे तक अपेक्षित मूल्य जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदाएं दिनांक 21.09.2019 को अपराह्न 2.00 बजे से 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा प्राप्त निविदायें उसी दिन अपराह्न 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष समिति द्वारा खोली जायेगी, जिस ठेकेदार की तकनीकी बिड वैध पायी जायेगी, उनकी भी फाइनै-शीयल बिड खोली जायेगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र मूल्य + जी०एस०टी०	कार्य करने की अवधि
1	कारपेट सिटी योजना में कारपेट बैकिंग प्लान्ट में विभिन्न साइज के मॉडर्न लूमों के आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य	658912.00	65900.00	1500.00 + 270.00 G.S.T	02 माह
2	कारपेट बैकिंग प्लान्ट में निर्मित शेड में प्रशासनिक ब्लॉक रिसिविंग एरिया फाइनल इन्सपेक्शन एवं फिनिशिंग गुड्स एरिया के उपर फाल सेलिंग एवं आन्तरिक विद्युतीकरण के कार्य	516070.00	51650.00	1500.00 + 270.00 G.S.T	02 माह

शर्तें :-

- जमानत धनराशि का भुगतान अन्तिम भुगतान की तिथि से एक वर्ष की अवधि के उपरान्त ही किया जायेगा तथा उक्त एक वर्ष की अवधि में समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
- निविदा केवल वे ही व्यक्ति/ फर्म ले सकते हैं जिनका सन्दर्भित कार्य का अनुभव हो तथा लूम की आपूर्ति एवं मैन्यूफैक्चर्स हो एवं सोल टैक्स में पंजीकृत हो।
- स्टैम्प अधिनियम के अन्तर्गत अनुबन्ध करते समय नियमानुसार स्टैम्प पेपर भदोही से क्रय कर देना होगा। जिसकी सही होने की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी।
- आवंटित कार्य हर हालत में निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा अन्यथा अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
- धरोहर धनराशि प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ जमा होना अनिवार्य है। जिस निविदा की धरोहर धनराशि नहीं होगी उसको संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।
- प्रत्येक कार्य की कम से कम 3 वैध निविदा प्राप्त होने पर ही विचार किया जायेगा।
- प्रत्येक सफल निविदादाता को कार्य शुरू करने के पूर्व तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त सहायक अभियन्ता/ अवर अभियन्ता की उपस्थिति में मौके की फोटोग्राफी कराकर कार्यालय में जमा करना होगा।
- मुख्य कार्यपालक अधिकारी को बिना कारण बताये किसी एक या सभी निविदाएं निरस्त करने का अधिकार होगा।



सहायक अभियन्ता